न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3802–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–मानपुर जिला उमरिया प्रकरण कमांक 15/अ–12/2013–14

1. धर्मदास साहू आत्मज भैयालाल साहू
2. रामकुमार साह आत्मज भैयालाल साहू
   दोनो निवासी ग्राम रकशा थाना एवं
   तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

सोनेलाल साहू पिता नमइया साहू
निवासी ग्राम रकशा थाना एवं
तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0

———अनावेदक

— — — — — —

श्री सुशील कुमार शुक्ला, अभिभाषक, आवेदकगण

— — — — — —

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 03 नवम्बर 2015)

— — — — —

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–मानपुर जिला उमरिया के आदेश दिनांक 15–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक ने मौजा रकशा तहसील मानपुर जिला उमरिया स्थित आराजी खसरा नं0 405/1ग रकबा 0.996 एवं 405/1च रकबा 0.405 एकड़ के

सीमांकन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु निर्देशित किया। हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15—7—2014 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक से प्रभावित होकर पक्षपातपूर्ण ढंग से आवेदक की भूमि को नाप न करते हुये मात्र अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 405 के अंश भाग को स्थायी सीमाचिन्ह का सहारा लिये बगैर आवेदक की पट्टे व कब्जे की उपजाऊ भूमि को अनावेदक के पक्ष में नाप दी जिस पर आवेदकों ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन उस बिना सुनवाई किये राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन आदेश पारित किया। यह भी तर्क दिया कि सीमावर्ती कृषकों को बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है। स्थाई रूप से बन्दोबस्ती सीमाचिन्ह का आधार लिये बगैर किया गया सीमांकन अवैधानिक है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदकों की ओर से भी सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये थे परन्तु आवेदकों की भूमि का सीमांकन न करते हुये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सीमांकन करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 15—6—2014 निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति, खसरे की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसे स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रकरण

में सरहदी कास्तकार हैं। सीमांकन के पूर्व सरहदी कास्तकारों को सूचना दिये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र की सत्यापित प्रति में आवेदकगण को किसी प्रकार की सूचना दिया जाना परिलक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यदि आवेदकों द्वारा भी स्वयं की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब सम्पूर्ण सर्वे कमांक 405 का सीमांकन किया जाना चाहिए था परन्तु पटवारी द्वारा मात्र 405/1ग एवं 405/1च का ही सीमांकन किया है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में प्रकरण तहसीलदार मानपुर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक तथा अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सभी सीमावर्ती कृषकों को विधिवत सूचना देने के उपरांत स्थाई सीमाचिन्ह को आधार मानकर सीमांकन की कार्यवाही की जाये।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर